संख्या-113/2020/2161/26-3-2020

प्रेषक,

राकेश कुमार सचान
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 09 सितम्बर 2020

विषय:- **रिट याचिका संख्या-सी-29602/2018 आशुतोष कुमार मिश्रा बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य के अन्तर्गत मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक-06.03.2020 के अनुपालन के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1227/स0क0/शिक्षा-अ/2/151/2020-21, दिनांक-21.08.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से याची छात्र श्री आशुतोष कुमार मिश्रा को वर्ष 2017-18 में ट्रांजेक्शन फेल की छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि को छम्थ्ज् के माध्यम से भुगतान किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-102/2020/ 1766/26-3-2020, दिनांक-06.08.2020 के माध्यम से निर्गत याची छात्र श्री आशुतोष कुमार मिश्रा की वर्ष 2017-18 की ट्रांजेक्शन फेल छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की **धनराशि रू0-30,760/- (रूपये-तीस हजार सात सौ साठ मात्र)** को **NEFT** के माध्यम से भुगतान किये जाने की अनुमति मा0 उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या-सी 29602/2018 आशुतोष कुमार मिश्रा बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक-06.03.2020 के अनुपालन में प्रदान की जाती है। यह कार्यवाही भविष्य में अन्य प्रकरणों में दृष्टांत के रूप में नहीं लिया जायेगा।

भवदीय,

राकेश कुमार सचान
अनु सचिव।

पृ.संख्या-113/2020/2161 (1)/26-3-2020 तददिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी/लेखापरीक्षा) प्रथम,उ0प्र0,इलाहाबाद।
2. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

राकेश कुमार सचान
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in